कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।

कार्यालय दूरभाष संख्या–05271–245250 फैक्स सं0–244345 ई–मेल : dmamb@nic.in
कन्ट्रोल रूम नं0–05271–244250, 244550, 244551, 244552 Mo. No. 9455406870, 9455406280

पत्रांक : 1002/जे0ए0/2020 दिनांक 11 मई ,2020

आदेश

जनपद अम्बेडकरनगर में आज दिनांक 11.05.2020 को ग्राम धनुकारा थाना आलापुर ब्लाक रामनगर, तहसील आलापुर में दो व्यक्तियों के कोविड–19 संक्रमण के कारण पूर्व में पारित आदेश सं0 988/जे0ए0/2020 दिनांक 04.05.2020 को अतिक्रमित करते हुए संक्रमण फैलाव रोकने/बचाव/प्रभावी नियन्त्रण के उद्देश्य से सम्बन्धित राजस्व गॉव/मोहल्ला धनुकारा एवं उसके आस–पास 01 किलोमीटर के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार आज दिनांक 11.05.2020 को सायं 05.00 बजे से अगले आदेश तक तक अस्थायी रूप से सील किया जाना एवं सम्बन्धित क्षेत्र में प्रवेश व निकास एवं वाहनों का संचालन अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर प्रतिबन्धित किया जाना एवं उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र/ग्राम में रहने वाले व्यक्तियों को अपने–अपने घरों (इन्डोर) में रहने के दृष्टिगत प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो गया है।

उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–11 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 195/एक–11–2020–रा0–11 दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–2 की उपधारा (डी) तथा उ0प्र0 आपदा प्रबन्ध अधिनियम–2005 की धारा–2 की उपधारा (जी) में किये गये प्राविधान के क्रम में कोविड–19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है।

नोवेल कोरोना वायरस (**COVID-19**) के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या–40–3/2020–डीएम–1(ए) दिनांक 01.05.2020 के क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊ के आदेश संख्या 381/2020/सीएक्स–3 दिनांक 03.05.2020 एवं उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5, लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548/पॉच–5–2020 दिनांक 14.03.2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या–3 सन् 1897) की धारा–2 के अधीन उ0प्र0 महामारी कोविड–19 विनिमावली 2020 के प्रस्तर–12 एवं शासनादेश संख्या 793/पॉच–5–2020 दिनांक 6.04.2020 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–144, में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै राकेश कुमार मिश्र जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर राजस्व ग्राम धनुकारा व इसके आस–पास 01 किलोमीटर की परिधि को सील करने एवं कन्टेनमेन्ट जोन घोषित करते हुए, निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ–

1. अस्थायी रूप से सील किये राजस्व ग्राम धनुकारा एवं उसके आस–पास के 01 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश व निकास एवं वाहनों का संचालन पूर्णरूप से प्रतिबन्धित किया जाता है।
2. सील किये गये एवं आस–पास क्षेत्र के अन्दर–बाहर किसी व्यक्ति, वाहन इत्यादि का आवागमन अपरिहार्य परिस्थितियों में यथा–चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति हेतु जारी किये वाहन पास/अनुमति पत्र के आधार पर अनुमन्य होगा।
3. चिन्हित/सील किये गये क्षेत्र में लगाये गये लोकसेवक, पुलिस, स्वास्थ विभाग एवं सफाई कर्मियों के अतिरिक्त अन्य का प्रवेश पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
4. चिन्हित क्षेत्र में 24 घंटे थानों व 112 के वाहनों की पेट्रोलिंग की जायेगी।
5. उक्त क्षेत्र में भारत सरकार के स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी Standard Operating Protocol (SOP) में उल्लिखित निगरानी प्रक्रिया का अनुपालन तथा उक्त क्षेत्रों के निवासियों के मध्य आरोग्य सेतु ऐप का 100 प्रतिषत कवरेज सुनिष्चित किया जायेगा।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर उस क्षेत्र के व्यक्तियों को होम एव संस्थानिक कोरंटाइन किया जायेगा।
7. उक्त क्षेत्र में बिना चेकिंग के किसी भी व्यक्तियों और परिवहन आदि की अनुमति नही होगी।
8. उक्त क्षेत्र में आने–जाने वाले व्यक्तियों का पूरा विवरण रखा जायेगा।
9. उक्त के अलावा अन्य किसी सेवा की अनुमति नही होगी। हाटस्पाट/सील किये क्षेत्र की सभी सरकारी/गैरसरकारी कार्यालय/दुकाने एवं बैंक बन्द रहगें।
10. उक्त सील सीमा/हाटस्पाट में शान्ति–सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, उप जिला मजिस्ट्रेट, आलापुर को मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी लगायी जाती है।
11. उपजिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सील क्षेत्र की भौगोलिक सीमा को चिन्हित करते हुए, पूरी तरह से बैरीकेट कराना सुनिष्चित करेगे।

उपरोक्त क्षेत्र के प्रतिबन्ध के अतिरिक्त सम्पूर्ण जनपद क्षेत्र में निम्न वर्णित गतिविधियां दिनांक 31.05.2020 तक जनपद अम्बेडकरनगर में पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी –

(i) अर्न्तजनपदीय/अन्तर्राज्यीय बस परिवहन, सिवाय गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत परिवहन को छोड़कर।

Scanned with CamScanner

(ii) लोगों को अर्न्तजनपदीय/अन्तर्राज्यीय आवागमन, सिवाय चिकित्सीय कारण अथवा गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत गतिविधि हेतु आवागमन को छोडकर।

(iii) समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि पूर्णतया बन्द रहेगें। ऑन लाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति दी जाती है।

(iv) सत्कार सेवाएं (Hospitality Services), सिवाय उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों, अथवा लॉकडाउन के कारण फंसे हुए टूरिस्टों हेतु अथवा क्वारन्टाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हों।

(v) समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल–परिसर, तरण–ताल (Swimming Pool), मनोरंजन–पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थल पूर्णतया बन्द रहेगें।

(vi) समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य सामूहिक गतिविधियां पूर्णतया बन्द रहेगी।

(vii) समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे।

(viii) जनपद में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह–रुग्णता (co-morbidity) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही बाहर निकलेगें।

(ix) साईकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा का संचालन पूर्ण से प्रतिबन्धित रहेगा।

(x) जनपदीय और अन्तर्जनपदीय बस परिवहन, सिवाय अनुमति प्रदत्त बसों को छोड़कर।

(xi) स्पा और हेयर सैलून आदि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

<u>सार्वजनिक स्थल के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश</u>

11. सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर/मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
12. सार्वजनिक स्थलों/सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगे।
13. शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने के अनुमति नहीं होगी। (शादी के आयोजन के लिए पूर्व में ही सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, अनुमति हेतु आवेदन के समय कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी 20 व्यक्तियों की सूची उनके समस्त विवरण सहित संलग्न की जायेगी।)
14. अन्तिम–संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नही होगी।

<u>सामान्य निर्देश-</u>

1. बाहर से आये हुए प्रवासी श्रमिकों/व्यक्तियों को 21 दिन के होम कोरंटीन अवधि के दौरान घर के पृथक कक्ष में रखा जायेगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एवं मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बार–बार साबुन से हाथ धोने व सेनीटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
2. होम कोरंटीन अवधि के दौरान निगरानी समितियों द्वारा सतत पर्यवेक्षण किया जायेगा। तथा उस परिवार में आवश्यक बस्तुओं की खरीद–फरोख्त हेतु निगरानी समिति द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान परिवार के एक सदस्य को घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। बाहर निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
3. निगरानी समिति द्वारा होम कोरंटाइन किये गये व्यक्ति व उसके परिवार के सभी सदस्यों का विवरण रखा जायेगा। निगरानी समिति द्वारा होम कोरंटीन घर के उचित स्थान पर क्वारेन्टाइन फ्लायर लगाया जायेगा, जिससे उस घर के कोरंटाइन के अन्तर्गत होने का संकेत मिल सके।

निम्नलिखित गतिविधियों (हॉटस्पॉट/कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को छोड़कर) को नीचे उल्लेखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ अनुमति रहेंगी-

1- शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिनमे केवल Special Economic Nones, Export Oriented Units, Industrial Estates और Industrial Townshi शामिल हैं, को आवाजाही पर नियंत्रण के साथ, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई जिनमें दवा–औषधि, चिकित्सीय उपकरण तथा इनके कच्चे माल व अन्तरवर्ती निर्माण सामग्री शामिल है, ऐसी उत्पादन इकाईयां जिनका सतत चलना आवश्यक हो, और उनकी सप्लाई चेन, आईटी हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग (भीड़ इकट्ठा न होने देने के लिए अलग–अलग शिफ्ट व सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए) और पैकेजिंग मैटेरियल से सम्बन्धित उत्पादन की इकाईयों को चलने की अनुमति होगी।

2- औद्योगिक इकाईयों के संचालन के दौरान सामाजिक/शारीरिक दूरी बनाये रखने के सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 द्वारा निर्धारित स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को अनुपालन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाएगा–

Scanned with CamScanner

समस्त कार्यालयों, कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाने होंगे–

1. जनपद स्तर पर समस्त कार्यालयाध्यक्ष समूह क व ख के समस्त अधिकारी एवं 33 प्रतिषत कार्मिक की उपस्थिति सम्बन्धित कार्यालयों में अनिवार्य रहेगी।

2- परिसर के सभी क्षेत्रों सहित निम्नांकित स्थानों को उपयोगकर्ता हेतु हानिरहित कीटाणुनाषक का उपयोग करके पूर्ण रूप से विसंक्रमित किया जाएगा–

i. भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार।

ii. कैफेटेरिया तथा कैंटीन।

iii. सभाकक्ष, सम्मेलन हॉल/खुला क्षेत्र/बरामदा/प्रवेश द्वार स्थल, बंकर, पोर्टा केबिन, भवन आदि।

iv. समस्त उपकरण ।

v. वाशरूम, टॉयलेट सिंक, वॉटर पॉईन्ट आदि।

vi. समस्त दीवारें/अन्य सतहें।

3. 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में बाहर से आने वाले कर्मियों/श्रमिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर किसी प्रकार की निर्भरता के बिना विशेष परिवहन की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को केवल 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी।

4. परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी पर कीटाणुनाशक स्प्रे के माध्यम से अनिवार्य रूप से विसंक्रमित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. कार्य स्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्केनिंग अनिवार्य होगी।

6. कर्मियों/श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा।

7. हाथ धोने और सैनेटाइजर के लिए व्यवस्था की जाएगी, जो स्पर्श मुक्त तंत्र को वरीयता के साथ सभी प्रवेश और निकासी बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाएगा। सभी वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

8. कार्यस्थलों में दो पारियों के बीच एक घण्टे का अन्तर होना और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा दोपहर के भोजन को पृथक एवं विलम्बित रूप से किया जाएगा।

9. 10 या अधिक प्रतिभागियों की बड़ी सभाओं या बैठकों को हतोत्साहित किया जाएगा। कार्य स्थलों एवं सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में सम्बन्धित व्यक्ति एक–दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे।

10. गुटखा, तम्बाकू आदि पर सख्त प्रतिबन्ध होगा और थूकना पूरी तरह से प्रतिबन्धित होगा।

11. कार्य स्थलों पर गैर आवश्यक आगंतुकों पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।

12. आस–पास के क्षेत्रों में कोविड–19 के रोगियों के उपचार के लिए अधिकृत चिकित्सालयों/क्लिनिकों को चिन्हित कर इसकी सूची मुख्य चिकित्साधिकारी अम्बेडकरनगर हर समय उपलब्ध रखेंगे।

13. 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को संचालन से पूर्व अधिकतम 25 कर्मियों की सीमा के अधीन अपने कुल कर्मचारियों के रैंडम आधार पर कम से कम 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 कार्मिकों का रैंडम आधार पर परीक्षण किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक गतिविधियों/औद्योगिक गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है एवं किसी प्रकार का संक्रमण वहाँ नहीं हो रहा है टेस्टिंग की रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

14. सभी प्रकार की इंडस्ट्री/फैक्ट्री के मालिक व श्रमिकों की आपसी सहमति से कार्य के घण्टे बढ़ाये जा सकते हैं यह व्यवस्था आगामी 03 माह तक लागू रहेगी।

15. शहरी क्षेत्रों में निर्माण सम्बन्धित गतिविधिया, केवल in situ निर्माण (जहाँ श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हो, किसी को भी साइट के बाहर से लाने की अनुमति नही होगी) renewable energy से सम्बन्धित प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति होगी।

16. शहरी क्षेत्रों में समस्त मॉल, मार्केट कॉम्पलैक्स एवं मार्केट बन्द रहेगी, यद्यपि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से सम्बन्धित दुकानों को, मार्केट और मार्केट कॉम्पलैक्स की दुकानों को खुलने की अनुमति होगी।

17. शहरी क्षेत्रों में समस्त एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कालोनी एवं आवासीय परिसर के अन्दर की दुकानों के खुलने की अनुमति होगी, जिसमें गैर आवश्यक/आवश्यक सेवा/वस्तु का भेदभाव नही रहेगा।

18. ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर समस्त दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

19. शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाने का अनुपालन अनिवार्य होगा।

20. निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री यथा ईंट, बालू, मोरंग, सरिया तथा सीमेन्ट आदि के परिवहन की अनुमति गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों के अनुपालन करते हुए होगी।

Scanned with CamScanner

इस आदेश के प्रवर्तन (परिवाद दाखिल करने/एफ0आई0आर0 दर्ज करने/विधि द्वारा विहित प्रक्रिया में कार्यवाही करने) की जिम्मेदारी (पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी) की होगी।

उक्त आदेश आज दिनांक 11.05.2020 सायं 5.00 बजे से 31.05.2020 को सायं 05.00 बजे तक प्रभावी होगा। यदि इसे अधोहस्ताक्षरी अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त न कर दिया जाये अथवा वापस न ले लिया जाये।

चूँकि परिस्थितियों की संवेदनशीलता कुछ इस प्रकार है कि समयाभाव के कारण उन्हें जिन्हें कि यह आदेश अभिप्रेत है, व्यक्तिगत रूप से सुना जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज दिनांक 11.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से मुद्रित होकर जारी किया गया है।

(राकेश कुमार मिश्र)
जिला मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।

पत्र संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
4. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
5. आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या ।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6. पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर ।
7. मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर ।
8. अपर जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर ।
9. अपर पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर ।
10. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।
11. समस्त अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय अम्बेडकरनगर।
12. जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
13. नाजिर सदर अम्बेडकरनगर, को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

जिला मजिस्ट्रेट,
अम्बेडकरनगर।

Scanned with CamScanner